अम्बेडकर के लोकतंत्र सम्बंधी विचार

वर्तमान में लोकतंत्र बहुचर्चित शब्द है। लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्याय 'डेमोक्रेसी' मूल ग्रीक भाषा के 'डेमोस' तथा 'क्रेशिया' से मिलकर बना है। जिसमें 'डेमोस' का अर्थ लोग तथा 'क्रेशिया' का तात्पर्य है शासन। अर्थात् डेमोक्रेसी का अर्थ है लोगों का शासन। जनशासन ही लोकतंत्र है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन लोकतंत्र के आग्रहों से अभिप्रेरित रहा है। वे लोकतंत्र को जीवन का मुख्य आधार मानते थे। उनका मत था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास लोकतंत्र के बिना संभव नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र को लेकर दी गई परिभाषा– 'लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही है' में उनका अटूट विश्वास था। डॉ. अम्बेडकर ने लोकतंत्र के निम्न महत्वपूर्ण आधार बताये है–

स्वतन्त्रता

स्वतन्त्र भ्रमण, जीवन और सम्पत्ति के अर्थ में स्वतन्त्रता आवश्यक है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि सभी लोगों को स्वतन्त्र भ्रमण तथा आवागमन की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने निजी सम्पत्ति के अधिकार का समर्थन किया। जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा उसी समय भली भाँति सम्भव हो सकती है, जब आदमी को निजी सम्पत्ति को रखने और प्रयोग करने का अधिकार हो। उनके अनुसार, 'यदि व्यक्तियों की शक्तियों को प्रभावशाली तथा सक्षम ढंग से उपयोग में लाया जाए तो निश्चय ही स्वतन्त्रता का अधिकार लाभदायक सिद्ध होगा। अपने समाज में डॉ. अम्बेडकर ने राजनीतिक स्वतन्त्रता–दल बनाने, चुनाव लड़ने, मताधिकार प्रयोग करने, संगठित होने, प्रचार तथा अभिव्यक्ति आदि का प्रबल समर्थन किया। एक आदर्श समाज के लिए डॉ. अम्बेडकर ने धार्मिक स्वतन्त्रता को भी आवश्यक माना। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को धर्म धारण एवं धर्म प्रचार की स्वतन्त्रता दी जानी आवश्यक है। सभी नागरिकों को धार्मिक संस्थाएँ निर्मित करने का अधिकार भी होना चाहिए। किसी व्यक्ति या समुदाय के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से वह राज्य के धर्म–निरपेक्ष स्वरूप का ही समर्थन करते थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि डॉ. अम्बेडकर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की समृद्धि, संगठन और शक्ति के लिए सभी प्रकार की स्वतन्त्रताओं के पक्ष में थे। लोकतंत्र में स्वतन्त्रता का होना बहुत जरूरी है।

समानता

अम्बेडकर समता के सिद्धान्त को वैचारिक एवं व्यवहारिक दोनों रूपों में महत्व देते थे। उन्होंने यह माना कि सब मनुष्य समान पैदा नहीं होते, परन्तु उन्होंने प्रश्न किया कि क्या सभी मनुष्यों के साथ असमानता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वे असमान जन्में है। अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि 'जहाँ तक व्यक्तिगत प्रयत्नों का सम्बन्ध है, उनको भिन्न अथवा असमान माना जा सकता है, किन्तु लोगों को अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा एवं शक्ति को प्रदर्शित करने का अवसर तो दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने को प्रगतिशील बना लें और समाज में कुछ योगदान कर सके। यदि व्यक्तियों को असमान ही समझकर व्यवहार किया जाए, तो उनकी दशा अकल्पनीय हो जाएगी। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार यदि ऐसा ही ठीक समझा जाए, तो जिन व्यक्तियों के पक्ष मे 'जन्म, धन, शिक्षा, परिवार, नाम एवं व्यावसायिक सम्बन्ध हैं, वे ही लोग मानव दौड मे 'प्रथम आएंगे। उन्हीं को सुअवसर प्राप्त होंगे। परन्तु यह एक कृत्रिम चुनाव होगा जिसका आधार विशेष प्रतिष्ठा होगी न कि योग्यता। डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में, चुनाव हमेशा योग्यता के आधार पर ही होना चाहिए, अन्यथा सामाजिक प्रजातंत्र एवं मानवतावाद के प्रति घोर अन्याय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 'ये लोग जो बिना सुविधाओं के आगे नहीं बढ़ सकते, उन्हें आवश्यक रूप से सुविधाएं दी जानी चाहिए। ऐसा कार्य न्याय तथा निष्पक्षता से किया जाए, तो बहुत अच्छा होगा। उनके अनुसार यदि कोई समाज अपने सदस्यों को प्रगतिशील, उत्तम और उत्तरदायी बनाना चाहता है, तो यह समता को आधार मानकर ही सम्भव हो सकता है, इसलिए नहीं कि सब लोग समान हैं, बल्कि इसलिए कि उनका न्याय संगत विभाजन करना असम्भव है। उन्होंने अवसरों की एकता पर बल नहीं दिया, अपितु प्राथमिकताओं की समता को न्यायोचित स्थान दिया। लोकतंत्र में समानता बहुत जरूरी है।

भ्रातृत्व

परम्परावादी दृष्टिकोण के अनुसार भ्रातृत्व का अर्थ 'दान' व 'दया' है। परन्तु डॉ. अम्बेडकर ने भ्रातृत्व के इन अर्थों को नहीं माना और कहा कि भ्रातृत्व का आदर्श मुख्यतः सामाजिक है, न कि ईश्वरवादी। उन्हीं के शब्दों में, 'आदर्श समाज प्रगतिशील होना चाहिए। उसमें ऐसी भरपूर सारणियाँ होनी चाहिए कि वह समाज के एक हिस्से में हुए परिवर्तन की सूचना अन्य हिस्सों को दे दे। आदर्श समाज में अनेक प्रकार के टिन होने चाहिए जिन पर लोग सोच–समझकर विचार–विमर्श करे और उनके बारे में एक–दूसरे को बताएँ और सब उसमें हिस्सा ले। दूसरे शब्दों में समाज के भीतर सम्पर्क सर्वत्र होना चाहिए। इसी को भ्रातृत्व' कहा जाता है और यह प्रजातन्त्र पर आधारित है, वर्ग हिंसा, वर्ग घृणा, वर्ग–संघर्ष, उग्रवाद की पूरी तरह सुरक्षा और समाज की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप व दायित्व को आवश्यक मानते थे। यह उनके मानववाद को केवल काल्पनिक मानवाद न होकर वास्तविक सामाजिक मानववाद में रूपान्तरित करता है। सामाजिक जनतंत्र के बारे में उन्होंने बताया कि एक जीवन–पद्धति है, जो स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृभाव को जीवन के आदर्शों के रूप में स्वीकार करती है।

Scanned with CamScanner

अम्बेडकर के प्रजातंत्र में मुख्य आधार व्यक्ति, उसकी स्वतंत्रता तथा उसके सम्मान में अटूट आस्था को परिलक्षित करना है और यह तभी संभव हो सकता है जब राज्य ऐसी परिस्थितियां तैयार करे, जिससे सब लोगों का विकास हो सके। समाज का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय अर्थात् सामान्य जन–कल्याण है और राज्य का कार्य इसे व्यावहारिक जगत में अवतरति करना है। समाज और राज्य में सामंजस्य मानवता के हित में है। जनतांत्रिक व्यवस्था में वे राज्य को एक आवश्यक संस्था मानते हैं क्योंकि समाज की आन्तरिक अशांति तथा बाहरी आक्रमण से राज्य ही रक्षा करता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा में आर्थिक तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अम्बेडकर ने इस तथ्य पर समुचित ध्यान दिया है। उनका मानना था कि आर्थिक तथा सामाजिक प्रजातंत्र के अभाव में राजनीतिक प्रजातंत्र निरर्थक होगा। आर्थिक समानता की स्थापना के लिए वे आर्थिक नियंत्रण राज्य के हाथ में देना चाहते थे ताकि आर्थिक असमानता की खाई को पाटा जा सके। अम्बेडकर ने औद्योगीकरण तथा मशीनीकरण का समर्थन किया है। वे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को अनिवार्य मानते थे। अम्बेडकर राजनीतिक दृष्टि से, प्रजातंत्र, वयस्क मताधिकार, एक मत–एक व्यक्ति अथवा एक आदमी, एक मूल्य, कानून का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक प्रभुसत्ता आदि के पक्षधर रहे हैं। साथ ही राज्य समाजवाद के महत्व को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भारत में आम जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकारी तंत्र के सदुपयोग की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि प्रजातंत्र न केवल एक राजनीतिक व्यवस्था है, वरन् एक सामाजिक जीवन पद्धति भी है जिसका समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के आधार पर नियमन करना सांवैधानिक अनिवार्यता है। अम्बेडकर ने कहा, 'भारतीयों को मात्र गणतंत्र से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें अपने राजनीतिक जनतंत्र को एक सामाजिक जनतंत्र बनाना चाहिए। राजनीतिक जनतंत्र अधिक दिनों तक आगे नहीं बढ़ सकता, यदि उसका आधार सामाजिक जनतंत्र नहीं है।' अम्बेडकर यह भी मानते थे कि मानव व्यक्तित्व के निर्माण में स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अपने को अनेक रूपों में अभिव्यक्त करता है। स्वतंत्रता के माध्यम से ही व्यक्ति के अन्दर प्रतिभाएं जागृत होती हैं और वह अपने भाग्य का निर्माण भी करता है। वे आगे कहते हैं कि 'समानता आदमी को आदमी, समूह को समूह और समुदाय को समुदाय के साथ बांधती है।' जो स्वतंत्रता और समानता के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करते हैं, जहां लोग उनके व्यवहार से लाभान्वित हो सकें। अम्बेडकर ने भ्रातृत्व का अर्थ बताते हुए स्पष्ट किया कि भारतीयों के बीच एक सामान्य भाईचारे की भावना है, सभी भारतीय एक राष्ट्र हैं।

अम्बेडकर साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ थे। उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के सिद्धान्त पर आस्था नहीं थी। अपनी मान्यताओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अमरीकी गृह युद्ध के महान नेता द्वारा की गई लोकतंत्र की व्याख्या का उल्लेख किया और कहा 'जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई जनता की सरकार है।' लोकतंत्र की और भी परिभाषाएं हो सकती हैं। मैं स्वयं लोकतंत्र को एक अलग ढंग से परिभाषित करता हूं, अधिक मूर्त रूप में। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें जनता के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, रक्तहीन तरीके से किए जा सकें। लोकतंत्र की यही मेरी परिभाषा है। अम्बेडकर एक ऐसे लोकतंत्र समर्थक थे जो ब्राह्मणवाद के सिद्धान्त की तरह जन्म पर आधारित नहीं हो, बल्कि योग्यता और गुणवत्ता पर आधारित हो। वे चाहते थे कि शैक्षिक कुलीनतंत्र और सामाजिक गतिशीलता का समन्वय हो। उन्होंने लोकतंत्र में समतामूलक समाज की कल्पना की, जिसमें समान अवसरों का सिद्धान्त कारगर ढंग से काम कर सके।

अम्बेडकर पश्चिम के उदार लोकतांत्रिक आदर्श से बहुत प्रभावित थे। उनके मन में ज्ञान की असीम पिपासा थी और विद्वता के प्रति उनके मन में बड़ा सम्मान था। प्रशिक्षण और मानसिक झुकाव की दृष्टि से अम्बेडकर संवैधानिक लोकतंत्रवादी थे। यद्यपि उन्होंने सामाजिक भेदभाव और अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध और सिविल नाफरमानी का रास्ता अपनाया लेकिन सांवैधानिक परिवर्तन को बेहतर मानते थे। उनका हिंसात्मक क्रांति में विश्वास नहीं था। वयस्क मताधिकार तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के रास्ते लोकतांत्रिक परिवर्तन पर उनकी आस्था थी। उन्होंने अपने अनुयायी स्त्री–पुरुषों में मतदान के अनुशासन की जो भावना भरी वह देखने योग्य थी। अम्बेडकर ने ग्राम पंचायत संस्था की इसलिए निंदा की क्योंकि वे सोचते थे कि ये गांव, जाति–प्रणाली, अत्याचार और शोषण के मूर्तरूप हैं। वे पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते थे और जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव को मिटाकर सभी मनुष्यों को समान महत्व देने के सिद्धान्त के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाना चाहते थे।

अम्बेडकर का कहना था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कम से कम दो राजनीतिक दल हों – एक सरकार चलाने के लिए और दूसरा उस पर चौकसी रखने के लिए, जिससे वह स्वेच्छाधारी नहीं बन सके। प्रजातंत्र में विरोध का सशक्त होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि कमजोर विरोध सरकार पर सतर्क निगरानी और निरन्तर चौकसी रखने में समर्थ नहीं होता। अगले चुनाव तक विरोधी पक्ष सरकार की गतिविधियों पर बराबर नजर रखता है। यही कारण है कि ब्रिटेन एवं कनाड़ा में विरोधी दल के नेता को शासन की ओर से संसद में पृथक कमरा, कार्यालय और टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, सचिव व आवश्यक स्टॉफ दिया जाता है। जिससे कि वह विरोध पक्ष के दायित्व का निर्वाह सुचारू रूप से कर सके। अम्बेडकर का मत था कि बनियों, मारवाड़ियों और करोड़पतियों से सहायता लेकर संसदीय लोकतंत्र को सफल नहीं बनाया जा सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वाधीनता को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि संसदीय जनतंत्र को बाहरी धन से बचाया जाए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब उच्च वर्गों से धन लिए बिना चुनाव कराए जाएं। अन्यथा भारत का संसदीय जनतंत्र अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगा। यदि यह असफल होता है तो साम्यवादी व्यवस्था हस्तक्षेप करने

Scanned with CamScanner

लगेगी और हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। देश के विद्वान व्यक्ति होने के नाते हमारा और आपका कर्तव्य है संसदीय शासन व्यवस्था को सही अर्थो में जीवित रखने की दिशा में प्रयास। अम्बेडकर के अनुसार संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। राजनीतिक दल जनमत की अभिव्यक्ति एवं उसके क्रियान्वयन के अभिकरण हैं, लेकिन व्यवहार में राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते है। अम्बेडकर के अनुसार राजनीतिक दल को दो कार्य करने चाहिए। एक तो इसे जनता के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और दूसरा जनता के बीच अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रचार करना चाहिए।

प्रमुख सुझाव

लोकतंत्र में सुधार एवं इसे और प्रभावी बनाने हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकते है यथा–

1. जनता में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाना चाहिए।
2. गरीबी का उन्मूलन किया जाए।
3. लोगों को मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
4. बुद्धिमान एवं शिक्षित लोगों को नेतृत्व की भूमिका दी जानी चाहिए।
5. साम्प्रदायिकता का उन्मूलन किया जाना चाहिए।
6. निष्पक्ष एवं जिम्मेदार मीडिया सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
7. लोकतंत्र में जिम्मेदार विपक्ष का होना बहुत जरुरी है। इसलिए एक रचनात्मक विपक्ष होना चाहिए।
8. लोकतंत्र में निर्वाचित सदस्यों अर्थात् जनप्रतिनिधियों के कार्यो की निगरानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

निष्कर्ष

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की लोकतंत्र में अपार निष्ठा थी। उनका मत था कि दुनिया में लोकतंत्र से श्रेष्ठ शासन प्रणाली नहीं हो सकती। व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास लोकतंत्र में ही हो सकता है। अम्बेडकर ने राजनीति में प्रजातंत्र को एक जीवन मार्ग के रूप में अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि राजनीति में समता, न्याय, शोषणविहीन समाज की स्थापना करनी है तो प्रजातंत्र को एक मार्ग के रूप में अपनाना ही होगा। उन्होंने पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ प्रजातंत्र की आवश्यकताओं पर बल दिया, जिससे राजनीति का उपयोग समता, न्याय, शोषणविहीन समाज की स्थापना में किया जा सके।

Scanned with CamScanner